न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु0 नं0:– 106 / 2025

तारीख रजू :– 31.07.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

जयसिंह पुत्र स्व श्री रतनलाल उम्र 75 वर्ष जाति मीना निवासी भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील बालघाट जिला करौली

2.तहसीलदार, तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् वावत इन्द्राज राजस्व दुरूस्ती 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 व घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 26.02.2026

वाद पत्र संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोपुर तहसील बालघाट के खाता सं0 नया 113 खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 हैक्टेयर, उक्त आराजी का साविक खसरा नम्बर 717 रकवा 01 बीघा 5 विस्वा रहा है। वादी उक्त आराजी का काश्तकार है तथा मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है। वादी ने उक्त आराजी साविक खसरा नम्बर 717 रकवा 01 बीघा 5 विस्वा को उसके तत्कालीन खातेदार बनखण्डी पुत्र सुखराम जाति मीना निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम से दिनांक 19.12.79 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, नियमानुसार प्रतिफल राशि अदा कर, क्रय की थी। क्रय करने के दिनांक से ही वादी उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

वादी ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करते समय, अपना नाम **जयसिंह पुत्र श्री रतनलाल** जाति मीना निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान दर्ज करवाया था। जिसके अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी वादी का उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

सही नाम पता ही दर्ज है। किन्तु बाद में रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने रेवेन्यू रिकार्ड में वादी का नाम **जयसिंह पुत्र रतनलाल के स्थान पर जैसीराम पुत्र रतनलाल** दर्ज कर दिया है, जो कि गलत है। वादी का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र रतनलाल है। जोकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, एस.बी.आई. बैंक की पासबुक तथा वादी की पैन्शन डायरी से बखूबी स्पष्ट है।

वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए खाता सं0 नया 113 खसरा नम्बर 1584 की जमाबन्दी की नकल दिनांक 20.07.2025 को तहसील बालघाट से निकलवाई तो वादी को उक्त अशुद्धि का पता चला है। आराजी खाता सं0 नया 113 खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 हैक्टेयर स्थित ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) का वादी को खातेदार काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना तथा उक्त आराजी में गलत दर्ज हुए नाम **जैसीराम पुत्र रतनलाल** जाति मीना निवासी भोपुर को हजफ किया जाकर सही नाम **जयसिंह पुत्र रतनलाल** जाति मीना निवासी भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) किया जाना आवश्यक है एवं न्यायसंगत है।

विनायदावा दिनांक 20.07.2025 को, वादी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए खाता सं0 नया 113 खसरा नम्बर 1584 की जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर, हल्का पटवारी से उक्त गलत हुए इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने बावत निवेदन करने पर, पटवारीजी द्वारा माननीय न्यायालय में दावा हाजा पेश करने की कहने पर, माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

आराजीयात आराजी खाता सं0 113 खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 हैक्टेयर, स्थित ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा उक्त आराजी में गलत दर्ज हुए नाम **जैसीराम पुत्र रतनलाल** जाति मीना निवासी भोपुर को हजफ किया जाकर सही नाम **जयसिंह पुत्र रतनलाल** जाति मीना निवासी भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) संशोधित फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार बालघाट) ने रिपोर्ट के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम भोपुर सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 113 में आराजी खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 है0 की खातेदारी जैसीराम पुत्र रतन लाल जाति मीना साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। साबिक जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2035–38 में नामान्तकरण संख्या 248 के अनुसार खसरा नम्बर 717 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा जैसीराम पुत्र रतन जाति मीना के नाम से स्वीकार हुई का नोट अंकित है। वादी द्वारा पेश किये दस्तातेज 10 वीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, आदि में जयसिंह पुत्र रतनलाल दर्ज है।

वादी का नाम ग्राम में पूछताछ करने पर बताया गया कि जैसीराम पुत्र रतन लाल का नाम ही जयसिंह पुत्र रतन लाल है। जैसीराम व जयसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अन्य कोई भी व्यक्ति इस नाम का गांव में नहीं है। वादी का दावा धारा 136 का ना होकर समक्ष न्यायालय में वाद दायर कर नामान्तकरण की अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि आराजी खाता संख्या 113 में वर्णित खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 है0 ग्राम भोपुर तहसील बालघाट स्थित है। जो वादी के नाम खातेदारी है, जिसमें जैसीराम पुत्र रतनलाल जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादी का सही नाम जयसिंह पुत्र रतनलाल जाति मीना है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम जैसीराम पुत्र रतनलाल को हजफ कर जयसिंह पुत्र रतन लाल दर्ज किये जाने के आदेश करने हेतु निवेदन किया है। पैरोकार सरकार ने अगवत कराया है कि वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम जरिये नामान्तकरण से दर्ज हुआ है। अतः प्रकरण 136 का नहीं बनता है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम भोपुर के नवीन खाता संख्या 113 में वर्णित खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 है0 में वादी का **जैसीराम पुत्र रतन लाल** है। तहसीलदार बालघाट की

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रिपोर्ट अनुसार **जैसीराम पुत्र रतन लाल व जयसिंह पुत्र रतन लाल** एक ही व्यक्ति है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम भोपुर तहसील बालघाट के नवीन आराजी खाता संख्या 113 में वर्णित खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 है0 में दर्ज वादी का नाम **जैसीराम पुत्र रतन लाल के स्थान पर जैसीराम उर्फ जयसिंह पुत्र रतन लाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाये जावें। उक्त आदेश वादी द्वारा पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

जयसिंह पुत्र स्व श्री रतनलाल उम्र 75 वर्ष जाति मीना निवासी भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील बालघाट जिला करौली

2.तहसीलदार, तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् वावत इन्द्राज राजस्व दुरूस्ती 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

व घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त अधिनियम 1955

मु0न0ः– 106 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम भोपुर तहसील बालघाट के नवीन आराजी खाता संख्या 113 में वर्णित खसरा नम्बर 1584 रकवा 0.32 है0 में दर्ज वादी का नाम **जैसीराम पुत्र रतन लाल के स्थान पर जैसीराम उर्फ जयसिंह पुत्र रतन लाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाये जावें। उक्त आदेश वादी द्वारा पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निज.....................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2026 को जारी की गई

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					